कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , नरसिंहपुर

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का कियान्वयन

1. संगठन कार्यो एवं कर्तव्योां का विवरण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (जिला पंचायत नरसिंहपुर)

1– विकास आयुक्त म0प्र0 भोपाल दूरभाष क्र. 0755–2441459

2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नरसिंहपुर दूरभाष 07792–230247 का.
230870 नि.

3– उप संचालक पंचायत / अति.मुख्य कार्यपालन अधिकारी नरसिंहपुर
दूरभाष क्र. 07792–230412 का.

4– परियोजना अधिकारी, श्री के.के.श्रीवास्तव दूरभाष क्र. 230470 का.
233365 नि.

5– परियोजना अधिकारी, श्री सी.एस..श्रीवास्तव दूरभाष क्र. 230470 का.
231267 नि.

6–

श्री के.के.रैकवार मु.का.अधि. अति.प्रभार ज.प. नरसिंहपुर दूरभाष 07792–230843	श्री के.के.रैकवार मु.का.अधि. ज.प. गोटेगांव दूरभाष 07794–283284	सुश्री माधुरी पटैल मु.का.अधि. ज.प. करेली दूरभाष 07793–270795	श्री उदयराजसिंह मु.का.अधि. ज.प. चांवरपाठा दूरभाष 07793–275893	श्री अमितसिंह मु.का.अधि. ज.प. सांईखेड़ा दूरभाष 07791–250259	श्री शशिभुषण शर्मा मु.का.अधि. ज.प. चीचली दूरभाष 07790–226876

कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के दिशा निर्देशों एवं पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानानुसार शासन की विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन पर्यवेक्षण एवं समीक्षा ।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य तथा अधिकार

73 वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था की स्थापना संबंधी शासन के दिशा निर्देशानुसार ग्रामीण विकास विभाग में पंचायतराज संस्थाओं की सहभागिता, विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पादर्शिता, योजना / कार्यक्रमों का क्षेत्र में सही तथा त्वरीत गत्ति से क्रियान्वयन एवं सौंपे गये कृत्यों , कर्तव्यों, दायित्वों के निष्पादन एवं अधिकारों के निर्वहन हेतु जनपद पंचायतों की सशक्तता व सुदृढ़ता सुनिश्चित करना।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण तथा लेखा जोखा सामिल है।

म0प्र0 पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अनुसार नियमों, उपविधियों, अधिसूचनाओं एवं न्याय दृष्टांतों के अनुसार कार्यवाही की जाना है।

4.	कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तय किये गये मापदण्डं।	म.प्र.पंचायतराज अधिनियम एवं म0प्र0आचरण नियम 1965 के प्रावधानानुसार – सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय क्र.सी–6–9(ए) 99–3–एक दि. 21.2.2000 द्वारा म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अधीन प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) नियम 12 के उपनियम (2) तथा नियम 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए म0प्र0 के राज्यपाल द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 11 विकास विभागों की सेवायें राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के नियंत्रण के अधीन दी गई है। तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निलंबित करने या लघु शास्तियां अधिरोपित करने के अधिकार प्रदत्त किये गये है।
5.	कर्मचारियों के लिये उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियम विनियम, निर्देश मेन्युअल तथा अभिलेख जो संधारित किये गये है–	उपरोक्तानुसार
6.	नियंत्रण में रखें गये दस्तावेजों का कमवद्व प्रपत्र	संबंधित योजनाओं की कैशबुक, लेजर, बैंक समाधान पंजीयां, बी.टी.बी., बिल रजिस्टर, एकोटेंश रोकल, चैक पंजी, स्टोर पंजी, (चल एवें अचल संपति)
7.	इसके प्रबंधन तथा नीतिनिर्धारण के संबंध में जनसाधारण से विचार विमर्श या उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार के लिए की गई व्यवस्था का विवरण–	सूचना के अधिकार एवं सिटीजन चार्टर के द्वारा की गई कार्यवाही हे तहत।
8.	दो या दो से अधिक सदस्यों वाले बोर्ड , कोंसिल , कमेटी तथा अन्य निकाह जिनका गठन सलाहकार के रूप में किया गया है और ये बोर्ड, कौंसिल, कमेटी या अन्य निकाय की बैठक जनसाधारण के लिए सुलभ है और क्या इनकी कार्यवाही टीप जनता को उपलब्ध होती है–	निरंक
9.	इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दूरभाष सूची–	निरंक
10.	इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक मानदेय जिसमें नियमों में प्रावधानित मुआवजा भी सामिल है–	निरंक
11.	इसकी प्रत्येक ऐजेन्सी को दिया जाने वाला बजट जिसमें प्लान, प्रस्तावित व्यय तथा किये गये भुगतान का प्रतिवेदन शामिल है–	निरंक

12.	अनुदान कार्यक्रमों के कियान्वयन की प्रणाली जिसमें प्रावधानित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों में संभावित हितग्राहियों का विवरण हो –	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत समूहों के माध्यम से ग्रामीण गरीब परिवार के सदस्यों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। समूह आधारित ग्रामीण गरीब परिवार जिनका नाम गरीबी रेखा की सर्वे सूची में शामिल के समूह को अधिकतम 1.25 लाख का अनुदान जि.पं. द्वारा बैंक के माध्यम से दिया जाता है या प्रति सदस्य न्यूनतम 10000 रू. दिया जाता है । लघु सिंचाई कार्येक्रमों में परियोजना लागत का 50 प्र.श. अनुदान दिया जाता है। उक्त योजना के तहत गोकुल ग्रामों में गोदान योजना के तहत ग्रामीण गरीब महिलाओं को यदि वे सामान्य श्रेणी की है तो 10000 रू. तथा अनु.जा., अनु.ज.जा. की महिला हितग्राही है तो 15000 रू. का अनुदान दिया जाता है। इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण गरीब हितग्राहियो ं को ग्रामसभा में चयन उपरांत नवीन आवास हेतु शतप्रतिशत अनुदान 25000 रू. दिया जाता है तथा आवास उन्नयन हेतु 10000 रू. की राशि शतप्रतिशत अनुदान पर ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रदाय की जाती है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनांतर्गत् 22.5 प्र.श. मद से बी0पी0एल0 के अनुसूचित जाति, अनु0 जन0 जाति के हितग्राहियों को अनुदान दिया जाता है ।
13.	रियायत, परमिट या अधिकार पत्र जो प्रदाय किये गये हैं उनका विवरण–	निरंक
14.	इसके पास उपलब्ध जानकारियों का विवरण जिसे इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में बनाया गया है–	निरंक
15.	जनसाधारण को जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जो सुविधायें उपलब्ध है उनका विवरण जिसमें लायब्रेरी, रीडिंग रूम के कार्य के घंटे , यदि वे कार्यरत हों तो–	निरंक
16.	जनसम्पर्क अधिकारियों के नाम , पद नाम तथा अन्य विवरण	निरंक
17.	अन्य जानकारियों जो निर्धारित की जावेंगी–	निरंक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नरसिंहपुर